न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—45 / 2017 (2017 / 00131) वाद पत्र

अनवान

1. नारायण लाल पिता शंकरलाल ब्राहम्ण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. भैरू पिता जगन्नाथ ब्राहम्ण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भंवरलाल पिता लक्ष्मण ब्राहम्ण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 179 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति

1. फारूख मोहम्मद — वादी अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः—05.01.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम मोटरा का खेड़ा पटवार हल्का नाथड़ियास तहसील रायपुर की बैरून हल्का आबादी में वादी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 3857 / 2908 का 0.29 है. भुमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 50 पर दर्ज रेकार्ड है प्रमाण में नकल जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 मय नवक्षा ट्रेस वादपत्र के साथ प्रस्तुत की है। वादी की उक्त आराजी संख्या 3857 / 2908 रकबा 0.29 है. भुमि के भु—भाग पर प्रतिवादीगण ने दिनांक 13 / 05 / 2015 को वादी की खातेदारी भुमि पर अनाधिकृत रूप से आधिपत्य कर उस पर जबरन कब्जा करने की नियत से थुहरों की बाड़ करने लगे तो वादी ने मना किया लेकिन नहीं माने और मरने मारने पर उतारू हुये तो इस पर वादी ने अपनी आराजी संख्या 3857 / 2908 की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भु राजस्व अधिनियम के तहत उसी दिन दिनांक 13 / 05 / 2013 को पेश किया जो दिनांक 12 / 06 / 2013 को स्वीकार होकर आदेश जारी किया गया आदेश की पालना बाबत वादी ने आदेशानुसार शुल्क जमा कराकर पालना हेतु आदेश भु—अभिलेख निरीक्षक के पास भिजवाया जिस पर भु—अभिलेख निरीक्षक ने बसामलात ग्राम के मौतवीरान को साथ लेकर वादी की भुमि की पत्थरगढी हेतु मुस्तकील निशान को आधार बनाकर नपती शुरू की और आराजी संख्या 3857 / 2908 की नपती कर पत्थर गढवाये तथा मौका पर्चा दिनांक 08 / 07 / 2013 को कायम कर हस्ताक्षर करवाये तथा नपती के दौरान प्रतिवादीगण जो भुमि पर अनाधिकृत रूप से काबिज थे उन्हें कब्जा हटाने बाबत मौखिक रूप से कहा लेकिन प्रतिवादीगण ने कब्जा नहीं हटाया [illegible] कब्जा सिपुर्द करने बाबत मना कर दिया जबकी उनको वादी की खा[illegible] कब्जा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है वादी ने प्रति[illegible] 10 / 03 / [illegible] को अंतिम बार अपनी जमीन का कब्जा सिपुर्द करने बाबत कहा [illegible] प्रतिवादीगण इस[illegible] तैयार नहीं हुये जिससे वादी को यह वादपत्र प्रस्तुत करना पड़ा है। प्रमाण में पत्थरगढ़ी आदेश की प्रमाणित प्रति व मौका पर्चा मय नजरी नक्शा की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:36:33 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादी की सादर प्रार्थना है कि बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण वादी के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 3839 / 2908 रकबा 0.29 है0 भूमि से प्रतिवादीगणो को बैदखल कराया जाकर वादी के पक्ष में कब्जेयापी की डिक्री सादर फरमाया जावे, प्रतिवादीगण वादी की 0.29 है0 बैशकिमती जमीन पर से अनाधिकृत आधिपत्य कर रखा है और वादी को काश्त व अन्य उपयोग के लिये वंछित कर रखा है उनका आधिपत्य हटाकर वादी के कब्जे कराई जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को समन जारी किया गया। समन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

वादी अधिवक्ता द्वारा अपने वाद के समर्थन में बयान कराये गये एवं जमाबन्दी 2074 से 2077 की पेश की एवं पत्थरगढ़ी पर्चा मौका दिनांक 08.07.2013 की प्रति पेश की है।

वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में वादी के नाम दर्ज भूमि की पत्थरगढ़ी कराने पर प्रतिवादीयो का कब्जा पाया गया जिससे प्रतिवादीगणो को बेदखल कर कब्जा दिलाया जाने हेतु वाद डिक्री फरमावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया वादपत्र के साथ संलग्न जमाबन्दी अनुसार ग्राम मोटरा का खेड़ा पटवार हल्का नाथड़ियास के आराजी संख्या 3857 / 2908 रकबा 0.29 है0 भूमि वादी के नाम दर्ज रेकार्ड है। वादी द्वारा पत्थरगढ़ी कराने पर संलग्न पर्चा मौका के अनुसार आराजी संख्या 3857 / 2908 रकबा 0.29 है0 सम्पूर्ण पर प्रतिवादी सख्या 1 से 2 का कब्जा पाया गया है जिसके सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी समन प्राप्त होने के बाद भी कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया इससे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि वादीगणो के पास कब्जे सम्बन्धी कोई साक्ष्य व रेकार्ड नही है। वादी खातेदार है। वादी के द्वारा वाद को प्रमाणित कराया है ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 183, 179 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार कर बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के इस आशय का आदेश जारी किया जाता है कि ग्राम मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी की खातेदारी आराजी संख्या 3857 / 2908 रकबा 0.29 है0 सम्पूर्ण भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे तथा वादी को उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करने देवें। डिक्री तदनुसार लिखी जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2022 को बोलकर लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:36:33 IST
Reason: SelfAttested

05/01/2022

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाडा)

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–45/2017 (2017/00131) वाद पत्र

अनवान

1. नारायण लाल पिता शंकरलाल ब्राहम्ण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. भैरू पिता जगन्नाथ ब्राहम्ण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भंवरलाल पिता लक्ष्मण ब्राहम्ण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 179 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 183, 179 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार कर बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के इस आशय का आदेश जारी किया जाता है कि ग्राम मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी की खातेदारी आराजी संख्या 3857/2908 रकबा 0.29 है0 सम्पूर्ण भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे तथा वादी को उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करने देवें।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05-01-2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:36:33 IST
Reason: SelfAttested